

मध्य प्रदेश शासन.
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-15/2014/1-3

भोपाल, दिनांक 24.01.2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषय:- शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर
संविदा/नियमित नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं
में सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु
कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency
certification test- cpct) आयोजित होने की समयावधि में
संशोधन ।


संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2015.

संदर्भित परिपत्र क्रमांक-सी-3-15/2014/1-3, दिनांक-26 फरवरी
2015 द्वारा 30 शब्द प्रतिमिनिट की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र
अनिवार्य किया गया है । राज्य शासन द्वारा उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन करते
हुए अब कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (computer proficiency
certification test - cpct) में इंगलिश टायपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति
मिनिट एवं हिन्दी टायपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनिट निर्धारित की जाती
है ।

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(सी0 बी0 पडवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग